न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर, जोधपुर
फौजदारी विविध प्रकरण संख्या–42/2026
(सेशन प्रकरण संख्या :– 116/2024)
राजस्थान राज्य बनाम तरूण खेतानी

05.02.2026

लोक अभियोजक उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्त उपस्थित। प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से मिसल तलबी के प्रार्थना–पत्र मय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6(2)(एफ) पासपोर्ट अधिनियम पर पत्रावली आज पेशी में ली जाकर प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि अभियुक्त तरूण खेतानी का पासपोर्ट संख्या वाय2025623 विभाग द्वारा जारी किया हुआ है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 22.10.2024 को समाप्त हो गई है। चूंकि अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अभियुक्त को पासपोर्ट बनवाने हेतु अनुमति दिया जाना न्यायसंगत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पासपोर्ट को दस वर्ष तक नवीनीकरण करने के कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किये गये है। अभियुक्त शहर जोधपुर का स्थाई निवासी है और भारत का नागरिक है। उसके कहीं भागने का कोई अंदेशा नहीं है। अभियुक्त न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर ही भारत छोडेगा एवं न्यायालय की अनुमति से ही विदेश यात्रा करेगा। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को उसके पूर्व में जारी पासपोर्ट को रि–ईश्यू करवाने हेतु अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया तथा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत **S.B. Criminal Misc. (Pet.) No 3044/2025 Dinesh Bhambhani Vs State of Rajasthan** पेश किया।

योग्य लोक अभियोजक ने उचित आदेश पारित करने का निवेदन किया।

सुना एवं विचार किया एवं सम्बन्धित सेशन प्रकरण का अवलोकन किया। प्रस्तुत माननीय न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने पासपोर्ट कार्यालय द्वारा उसका दिनांक 23.10.2023 को जारी पासपोर्ट संख्या Y5025623 की वैधता दिनांक 22.10.2024 को समाप्त होना बताते हुए पासपोर्ट रिन्यूअल की अनुमति चाही है। प्रकरण वर्तमान में बहस चार्ज

के स्तर पर नियत है। प्रकरण के अभी तक के विचारण में प्रार्थी–अभियुक्त का न्यायालय कार्यवाही का पूर्ण रूप से सहयोग किया जाना प्रकट होता है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों दृष्टिगत रखते हुए व प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में प्रार्थी को अपना उक्त पासपोर्ट रिन्यूअल किये जाने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी–अभियुक्त तरूण खेतानी पुत्र शंकरदास खेतानी, निवासी–मगाराम खेतानी कॉम्पलेक्स ई–शास्त्रीनगर पुलिस थाना शास्त्रीनगर, जोधपुर पश्चिम हाल राजा अमृततुल्य चाय, शॉप नं 11, बाहरवी रोड मान मनुहार रेस्टोरेंट के पास, सरदारपुरा, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी–अभियुक्त को पासपोर्ट कार्यालय द्वारा उसका दिनांक 23.10.2023 को जारी पासपोर्ट संख्या Y5025623, जिसकी वैधता दिनांक 22.10.2024 को समाप्त होना बताया है, को पासपोर्ट कार्यालय से नियमानुसार रिन्यूअल कराने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रार्थी न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नहीं छोडेगा।

तदनुसार उक्त आवेदन–पत्र का निस्तारण किया जाता है।

(अजय शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर, जोधपुर।